राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

P-1.

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन : 0141-2719073 **Email : rajssa_rte@yahoo.co.in** फैक्स : 0141-5107388,

क्रमांक :राप्राशिप / जय / आर.टी.ई. / 2013 / 5412-13 दिनांक : 16/8/13

1. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
2. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.), समस्त जिले।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मा.शि.) एवं जिला परियोजना समन्वयक, रा.मा.शि.अभियान, समस्त जिले।

विषयः आरटीई के अन्तर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेशित बालकों के सत्यापन के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण।
संदर्भः आपको पूर्व प्रेषित राज्य सरकार का पत्र दिनांक 14.8.2013

उपरोक्त विषय में निर्देशित किया जाता है, कि राज्य में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित बालकों का वेब पोर्टल पर ऑन लाईन फीडिंग कार्य किया जा चुका है। इस कार्य का अगला महत्वपूर्ण चरण प्रवेशित बालकों के सत्यापन का हैं। इस संदर्भ में आपको राज्य सरकार का संदर्भित पत्र पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

इस कार्य को पूरे राज्य मे एक साथ सम्पन्न करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के साथ सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान में कार्यरत अधिकारियों / कार्मिकों का समन्वय एवं सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। पूर्व निर्देशों की निरन्तरता में सर्व शिक्षा अभियान के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को निम्नांकित कार्य तत्काल सुनिश्चित करने है :-

- यह प्रशिक्षण कार्य ग्रामसेट / सेटकॉम केन्द्रों पर सम्पन्न होगा। ये केन्द्र समस्त जिला परिषद कार्यालय में, समस्त डाइट में, (प्रतापगढ़ को छोड़कर) एवं समस्त पंचायत समितियों में स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध है।
- जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से समन्वय कर वांछित संख्या में सत्यापन दलों का गठन कर एवं प्रशिक्षण हेतु उनके लिए स्थान का निर्धारण करेंगे तथा समय से पूर्व सत्यापन दलों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिषद / डाईट में संचालित केन्द्रों का अवलोकन एपीसी आरटीई / शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी के द्वारा अविलम्ब 1.30 बजे से 5.30 बजे के मध्य मौके पर ही कराया जाना है जिससे उन केन्द्रों पर लगे ग्रामसेट / सेटकॉम उपकरणों का फक्शंनल होना सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 1.30 बजे से 5.30 बजे के मध्य प्रतिदिन इन केन्द्रों के माध्यम से सीनियर सैकण्डरी के बालकों के लिए पाठों का प्रसारण किया जा रहा है। अतः इसी अवधि में मोके पर पहुंचकर यह कार्य सुनिश्चित किया जाना है।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(आरटीई प्रभारी) / संदर्भ व्यक्ति(आरटीई सह प्रभारी) के द्वारा व्यक्तिशः पंचायत समिति में स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर संचालित एजुसेट (आरओटी) केन्द्रों का उपरोक्तानुसार ही मौके पर सत्यापन किया जाना है।
- यदि कोई ग्रामसेट / सेटकॉम के संचालन में कोई तकनीकी कठिनाई सामने आ रही हो तो निम्न मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर उसका समाधान करायेः-
  1. श्री विनोद सिंह – 9672900444
  2. श्री पालीवाल – 9828770555

इस पत्र की एक-एक प्रति तत्काल जि.शि.अ.(प्रा.शि.) व जि.शि.अ.(मा.शि.) को उपलब्ध करायें।

D/Letter RTE 2012

- उपरोक्त प्रयास के बावजूद भी यदि कोई केन्द्र संचालित नहीं हो पाये तो इसकी सूचना दि. 19.8.2013 को दोपहर 12.00 बजे तक ईमेल rajssa_rte@yahoo.co.in पर प्रेषित करें तथा 0141-2719073 पर फोन कर नोट करायें।इस केन्द्र पर होने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था पास के ब्लॉक या जिला कार्यालय पर करना तथा सत्यापन दलों का वहां पहुंचना सुनिश्चित करें।

दिनांक 22.8.2013 को प्रशिक्षण कार्यक्रम

समय	कार्यक्रम
9.30—10.00	उपस्थिति व पंजीयन
10.00—10.30	सत्यापन दलों द्वारा निर्देशों पर परस्पर चर्चा एवं समस्या समाधान हेतु मुद्दे नोट करना
10.30—12.00	प्रशिक्षण एवं स्टूडियों में उपस्थित समूह का समस्या समाधान
12.00—1.00	जिला व ब्लॉक से ईमेल से समस्या प्राप्त करना व उनका समाधान

- जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, अति. जिपस सर्व शिक्षा अभियान, एमआईएस, एसएसए मय लेपटॉप व डाटा कार्ड, एपीसी आरटीई, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को जिला मुख्यालय पर स्थित ग्राम सेट/सेट कॉम केन्द्र पर प्रशिक्षण दलों के साथ उपस्थित रहना है।
- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, आरटीई प्रभारी, एबीईईओ आरटीई सह प्रभारी, आरपी व कम्प्यूटर ऑपरेटर को लैपटॉप व डाटा कार्ड के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों पर सत्यापन दलों के साथ उपस्थित रहना है।
- प्रशिक्षण के प्रथम सत्र के बाद सत्यापन दलों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को अविलम्ब ब्लॉक के कम्प्यूटर ऑपरेटर व जिले के एमआइएस द्वारा ईमेल पता rajssa_rte@yahoo.co.in पर प्रेषित करना है ताकि प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में उनका जवाब दिया जा सके।
- जयपुर जिले के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में सीटीई विद्यापीठ जामडोली एवं इंदिरा गांधी पचायती राज संस्थान, जेएलएन मार्ग, जयपुर स्थित एजुसेट का स्टूडियों (50 सदस्यों के लिए) के दो अतिरिक्त केन्द्र उपलब्ध है। अतः जयपुर जिला इन केन्द्रों पर भी अनिवार्य रूप से पूर्व सम्पर्क कर दलों का आवटन करें।

उपरोक्त कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता नहीं बरतें एवं पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

आयुक्त

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/सी/निःशुल्क सत्यापन/18878/13—14/१५५ दिनांकः— 16/8/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप—5)शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप—5)शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर अनुपालना करवावें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.......................................।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).......................... को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(सांख्यकी)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर